निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 15 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** के माह **08/2019 से 07/2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर0एन0यादव एवं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0, तथा श्री शरद चौधरी, स0ले0प0अधि0 (तदर्थ) द्वारा दिनांक **04.08.2020 से 18.08.2020** तक श्री जगमोहन सिंह रावत, व0ले0प0 अधि0 के पर्यवेक्षण मे सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री सत्यवीर, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.08.2019 से 07.09.2019 तक श्री बी॰ सी॰ मुखर्जी, व0ले0प0 अधि0 के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 08/2018 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0नि0वि0, देहरादून** मे मार्ग/पुल /भवन का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य

इकाई को बजट आंवटन- राज्य/जिला सरकार द्वारा दिया जाता है |

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आंवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19		-			5359.05	5357.46		
2019-20		-			5086.42	5082.73		
2020-21					1843.16	1404.57		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	शून्य				
2018-19					
2019-20					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"बी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन खंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **06/2020** को विस्तृत जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा अवधि मे अधिक व्यय के आधार पर "**गुलाटी नदी पर बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य**" का चयन किया गया।

a. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,
b. 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक 06.12.2019 से 30.03.2020 का निरीक्षण किया गया।

3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी माह **09/2019** तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी माह **09/2019** तक की गयी।

4. फार्म-51 माह **03/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है :

भाग प्रथम: रु 4009758.52

भाग दितीय: रु 4891521.46

5॰ खंड के उच्यंत लेखो का अवशेष माह **07/2020** के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : रु 9176432.00

(ख) रु सामग्री क्रय : 0.00

(ग) नगद परिशोधन : 0.00

(घ) निक्षेप : रु 101126230.00

(ङ) भंडार : (-)रु 1729218.00

भाग–दो 'अ'

प्रस्तर–1 त्रुटिपूर्ण विस्तृत आगणन एवं डिजाइन में कमी के कारण रू0 2.24 करोड़ व्यय होने के बाद भी 04 वर्ष पूर्व प्रारम्भ कार्य अपूर्ण रहना।

जनपद देहरादून के राजपुर तिराहा से कैरवान गांव तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति माह 02/2015 में रू0 413.54 लाख की प्रदान की गयी थी एवं प्राविधिक स्वीकृति माह 11/2015 में इतनी ही धनराशि की मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी।

कार्यालय, अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून की लेखापरीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि कार्य माह 04/2016 में अनुबन्धित होने के बावजूद अपूर्ण था। कार्य में 15 मी0 एवं 36 मी0 स्पान के दो सेतु एक बाक्स कलवर्ट, सभी हेतु सुरक्षात्मक कार्य एवं 1.63 किमी0 सीमेंट कंक्रीट मार्ग नाली निर्माण सहित सम्मिलित थे किन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक मात्र 15.00 मी0 स्पान सेतु, बाक्स कलवर्ट एवं 1.63 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण किया जा सका था जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य अप्रैल 2017 में ही समाप्त किया जाना था। खण्ड द्वारा दोनों सेतुओं हेतु सुरक्षात्मक कार्य भी नही कराये गये थे जबकि वर्षा काल में नदी उफान में होने से विगत वर्षो में कई सेतु क्षतिग्रस्त हो चुके है। नवनिर्मित मार्ग को बरसाती पानी से बचाने हेतु नाली का निर्माण भी नही कराया जा सका था जबकि उपरोक्त मदों हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राविधिक स्वीकृति के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी थी। खण्ड विस्तृत आगणन तैयार करने से पूर्व उचित सर्वे, स्थानीय अवस्थाओं को ध्यान में रख कर डिजाइन तैयार नही किया गया था क्योकि मार्ग निर्माण हेतु कुल 13 मदें आगणन में रखी गयी थी जिस हेतु कुल 165.00 लाख प्रदान किये गये थे जबकि इसके विरूद्ध मात्र 6 मदें ही निष्पादित कर कुल रू0 158.00 लाख व्यय किये गये थे। HYSD Bar Reinforcement in Foundation एवं Subgrade and earthen shoulder जैसी मदें जो सीमेंट कंक्रीट सड़कों की मजबूती हेतु आवश्यक मद थी, छोड़ दी गयी थी। आगणन मे उचित ड्रेनेज प्रदान करने हेतु सड़क के साथ–साथ रू0 16.93 लाख का प्रावधान नाली निर्माण हेतु किया गया था किन्तु वास्तविक रूप से कार्य निष्पादित नही किया गया था जबकि इस कार्य को सड़क निर्माण के साथ–साथ ही किया जाना था। 15.00 मी0 स्पान सेतु हेतु Fixed Bearing एवं Guided Bearing का प्रावधान किया गया था किन्तु वास्वविक रूप से इनका इस्तेमाल सेतु निर्माण पर नही किया गया था जिससे पुल के सेवाकाल पर विपरीत असर पड़ेगा। इसी प्रकार 36.00 मी0 स्पान सेतु का निर्माण भी आगणन के विपरीत 24.00 मी0 स्पान का किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि आगणन तैयार करने से पूर्व उचित सर्वे, डिजाइन एवं सर्वे के मानकों का पालन नही किया गया था। मार्ग पर एक 15.00 मी0 सेतु एवं एक बाक्स कलवर्ट बनाया जा चुका था किन्तु आगणन के अनुसार उसमें प्रोटेक्शन वर्क नही किया गया था जो इनके निर्माण के तुरन्त बाद ही किया जाना था क्योकि बरसात होते ही नदी पूरे उफान पर होती है एवं सेतुओ को खतरा पैदा करती है।

लेखपरीक्षा द्वारा आगणन के विपरीत स्पान परिवर्तन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया कि बरसात होने के कारण नदी का स्तर बढ़ने के कारण स्पान का फिर से डिजाइन कराना पड़ा। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योंकि यदि विस्तृत आगणन तैयार करते समय समुचित ढंग से सर्वे एवं स्थानीय अवस्थाओं का ध्यान रखा गया होता एवं नदी का catchment area एवं HFL (High Flood Level) के आकड़े लिये गये होते तो ऐसी स्थिति न आती। आगणन के विपरीत सरिया का प्रयोग न किये जाने पर बतलाया गया कि कार्य सम्पादित किया गया है ठेकेदार को भुगतान नही किया गया है ये तथ्य आधारहीन थे क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया। खण्ड द्वारा अति क्षतिग्रस्त मार्ग को बरसात से पूर्व यातायात हेतु सुगम बनाने के उद्देश्य से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने (27.11.2015) से पूर्व ही (13.03.2015) को अल्पकालिन निविदा आमंत्रित की गयी थी किन्तु उसके बाद 05 बरसात और बीत गयी है एवं कार्य आज भी अपूर्ण है यदि आनन फानन में बिना प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किये ही निविदा जारी न की जाती तो स्थितियां कार्य निर्माण के अनुकूल होती। आगे खण्ड का यह कहना कि बरसात के कारण नदी का स्तर बढ़ जाने के कारण सेतुओं का स्पान बढ़ गया जिससे फिर से डिजाइन करना पड़ा भ्रमित करने वाला जबाव था क्योकि 36.00 मी0 स्पान के स्थान पर अब स्पान घटाकर 24.00 मी0 किया जाना प्रस्तावित है। दूसरी ओर मुख्य अभियन्ता द्वारा भूमि विवाद, खनन सामग्री न मिलना, जल भराव इत्यादि कारणों से ठेकेदार को समय वृद्धि प्रदान की गयी है जबकि वास्तविकता यह है कि त्रुटिपूर्ण आगणन के कारण स्पान में परिवर्तन करना पड़ा एवं कार्य में विलम्ब हुआ।

अतः त्रुटिपूर्ण विस्तृत आगणन के आधार पर प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के फलस्वरूप सेतु के डिजाइन में बदलाव होने से कार्य पर रू0 2.24 करोड़ व्यय होने के बाद भी अनुबन्धित तिथि के 4 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने पर भी कार्य के अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर - 2 : वित्तीय स्वीकृति के 11 वर्षो बाद भी अपूर्ण रहने तथा वित्तीय स्वीकृति से रु 41.29 लाख के अधिक व्यय करते हुये रु 42.68 लाख के लंबित भुगतान एवं पुनरीक्षित आगणन मे आपत्तियो का निराकरण वर्तमान तक न किया जाना।

As per Financial Handbook Rule Vol-VI:

316-Revised –When expenditure on a work exceeds, or is likely to exceed, the amount administratively approved for it by morethan 10 per cent, or where there are material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may possible be covered by savings on other items, revised administrative approval must be obtained from the authority competent to approve the cost, as so enhanced.

उत्तराखंड शासन द्वारा एस0सी0एस0पी0 योजना के अंतर्गत देहरादून मे मोलधार से सेरकी-सिल्ला तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य (मार्ग लंबाई 8.00 किमी) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु 280.00 लाख हेतु प्रदान (फरवरी 2009) की गयी थी जिसकी प्राविधिक स्वीकृति (नवम्बर 2015) उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी । कार्य के निष्पादन हेतु 08 अनुबंध माह नवंबर 2015 से जुलाई 2016 के मध्य कुल रु 180.81 लाख हेतु गठित की गयी। उक्त अनुबन्धो के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 15.05.2016 एवं 11.01.2017 थी। सापेक्ष कार्य पर अंतिम देयक बिलो द्वारा कुल भुगतान रु 214.72 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (अगस्त 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के 05 माह पूर्व ही अल्पकालिक निविदा आमंत्रित कर एक ही कार्य को 08 भागो मे विभक्त कर अनुबंध गठित किया गया जिसमे सभी निविदा का परीक्षण माह नवंबर 2015 मे हो जाने के बाद भी 03 अनुबन्धो का गठन अन्य अनुबन्धो के गठन के 05 माह बाद किया गया। खंड द्वारा विस्तृत आगणन मे प्रविधानित 08 मदों के सापेक्ष मात्र 02 मदों मे ही अनुबंध का गठित किया गया और फिर उपरोक्त अवशेष मदो के कुछ कार्य अतिरिक्त आइटम्स के रूप मे कराया गया। पुनः खंड द्वारा वित्तीय स्वीकृति से रु 280.00 लाख के सापेक्ष रु 321.29 लाख(रु 41.29 लाख आधिक्य) का व्यय किए जाने के बाद भी वर्तमान तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। अनुबंध स0 25/EE एवं 27/EE के सापेक्ष कुल रु 42.58 लाख (रु 31.25

लाख + रु 11.32 लाख) का भुगतान किया जाना अभी लंबित था एवं अनुबंध स0 26/ईई का अंतिमीकरण शेष था । अभिलेखो की जांच मे यह भी पाया गया कि खंड द्वारा कार्य समाप्ति के 24 माह बाद एक पुनरीक्षित आगणन कुल रु 418.47 लाख (माह जनवरी 2020) का शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया था जिसे शासन द्वारा आपत्तियो के साथ वापस कर दिया गया था। आगे लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभिन्न मदों में विस्तृत आगणन के सापेक्ष रु 100.86 लाख के कार्य निष्पादित नहीं कराये गए थे।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि

1. प्राविधिक स्वीकृति से 05 माह पूर्व ही अल्पकालिक निविदा जारी किए जाने एवं कार्य विभक्त किए जाने के संबंध मे बताया गया कि वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात विधिवत स्वीकृति की प्रत्याशा मे निविदा आमंत्रित की गयी एवं स्थानीय ठेकेदारो की भागीदारी दिये जाने हेतु कार्य को विभक्त किया गया।

खंडन: कार्य मे पहले से ही लगभग 06 वर्ष की देरी हो चुकी थी जिसके पश्चात बिना मदों एवं दरो का आकलन किए कार्य कराना असंभव था । अतः प्राविधिक स्वीकृति के 05 माह पूर्व ही एक अल्प कालिक निविदा आमंत्रित किया जाना न केवल औचित्यहीन है अपितु वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है।

2. 08 चैनजो की निविदा का परीक्षण एक साथ करने के बावजूद 03 अनुबंध का गठन 08 माह बाद किए जाने के संबंध मे बताया गया कि मार्ग के समरेखण मे पड़ने वाली भूमि व अन्य मुवावजे गठित न हो पाने के कारण अनुबंध देर से गठित किया गया ।

खंडन: 08 चैनेजों के सापेक्ष 08 निविदाओ का एक साथ परीक्षण कर 03 निविदा बाद मे इसलिए गठित किया जाना कि काश्तकारो की भूमि एवं मुवावजों की पत्रावलिया गठित नहीं थी, न केवल विभागीय शिथिलता अपितु पूर्व के 06 वर्ष के कार्य मे कमी को भी परिलक्षित करता है।

3. विस्तृत आगणन मे प्रविधानित 08 मदों के सापेक्ष मात्र 02 मदों हेतु अनुबंध गठित किए जाने के बारे मे बताया गया कि तत्समय पहले पार्ट-I के कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात ही पार्ट-II के कार्य कराये जाते थे।

खंडन: विस्तृत आगणन मे प्रविधानित 08 मदों के सापेक्ष मात्र 02 मदों हेतु अनुबंध गठित किया जाना इसलिए तर्क संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि खंड द्वारा पार्ट-II के कार्य के लिए

फिर से कोई निविदा नहीं गठित की गई और अनौचित्यपूर्ण तरीके से कुछ मदों का कार्य अतिरिक्त आइटम्स (Extra Items) के रूप मे कराया गया जो अनुबंध की निर्धारित लागत से अधिक था।

4. कार्य मे देरी हेतु एवं 03 अनुबन्धो के अंतिमीकरण होने के संबंध मे खंड द्वारा उत्तर मे स्थल पर विवाद एवं वर्ष 2017 मे बादल फटने के कारण अनुबंध का अंतिमीकरण नहीं किया जा सका ।

खंडन: कार्य मे अप्रत्याशित देरी एवं 03 अनुबन्धो के अंतिमीकरण न हो पाने के संबंध मे दिया गया उत्तर तथ्य से परे है क्योंकि अनुबंध के अनुसार कार्य की समाप्ति माह मई 2016 एवं जनवरी 2017 ही थी। खंड द्वारा उसी अनुबंध के अंतर्गत अतिरिक्त आइटम के रूप मे कार्य कराये जाने से भी ठेकेदार की ज़िम्मेदारी निर्धारित किया जाना संभव नहीं था। पुनः 03 अनुबंध का वर्तमान तक भी अंतिमिकरण न हो पाना विभागीय शिथिलता/ कमी को प्रदर्शित करता है।

5. विस्तृत आगणन मे प्रविधानित मदों की मात्राओ के सापेक्ष रु 100.86 लाख कम मात्रा मे निष्पादन के संबंध मे बताया गया कि अनुबंध स0 25/EE एवं 27/EE के अंतिम बिल की मात्राओ को संज्ञान मे न लेने के कारण उक्त कमी परिलक्षित हुई ।

खंडन: विस्तृत आगणन के सापेक्ष मात्राओ मे कमी के संबंध मे विभाग द्वारा दिया गया उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि खंड द्वारा लेखापरीक्षा दल को अनुबंध सो 25/EE एवं 27/EE के अंतिम बिल (Final Bill) तत्समय उपलब्ध नहीं कराये गए थे। इसके अतिरिक्त उक्त रु 100.86 लाख लागत की मात्राओ मे कमी को उक्त बिलो के द्वारा मात्र रु 42.54 लाख की धनराशि का ही समायोजन किया जा सकता है ।

6. वित्तीय स्वीकृति से रु 41.29 लाख अधिक व्यय के संबंध मे उत्तर मे बताया गया कि उपरोक्त कार्य पर रु 41.44 लाख आधिक्य का व्यय (Below 15%) सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है।

खंडन: Delegation of Power के अनुसार, मूल स्वीकृति से 15 प्रतिशत का आधिक्य मुख्य अभियंता द्वारा तभी मान्य है जब कार्य के मदों एवं श्रमिक की की दरो मे वृद्धि हो और कार्य उक्त धनराशि के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए जबकि अभिलेखो के अनुसार कार्य वर्तमान तक 02 अनुबन्धो का भुगतान रु 42.56 लाख लंबित है जो 15 प्रतिशत की सीमा

से अधिक एवं अतिरिक्त है तथा 01 अनुबंध का अंतिमिकरण किया जाना अवशेष था। अंतिम बिलो के सापेक्ष अधिक भुगतान के संबंध मे खंड द्वारा यह बताया जाना कि कुछ कार्य अन्य अनुबन्धो से कराये गए किन्तु उससे संबन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख/ साक्ष्य संलग्न न करना, वित्तीय अनियमतता को सुनिश्चित करता है।

इसके, अतिरिक्त आइटम्स कि स्वीकृति भी इस शर्त के साथ दी गई कि उक्त कार्य मूल स्वीकृति के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए।

7. कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति 16 माह देरी से प्रेषित किए जाने एवं उसे शासन द्वारा आपत्तियो के साथ वापस किए जाने के संबंध मे बताया गया कि मार्ग का सर्वेक्षण आदि किए जाने मे समय लगा तथा शासन द्वारा लगाई गई आपत्तियो के निराकरण की कार्यवाही गतिमान है।

खंडन: कार्य प्रारम्भ करते समय ही पुनरीक्षित स्वीकृति का आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित न किए जाने एवं कार्य समाप्ति के 16 माह बाद पुनरीक्षित आगणन का स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जाना तथा शासन द्वारा की गई आपत्तियो का निराकरण 06 माह बाद भी न किया जाना, विभागीय शिथिलता/कमी का ज्ञोतक है।

अतः वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुये वित्तीय स्वीकृति के 06 वर्ष बाद कार्य को प्रारम्भ करने, उसके 11 वर्षो बाद भी अपूर्ण रहने तथा अनियमित तरीके से कार्यो का निष्पदान करते हुये वित्तीय स्वीकृति से रु 41.29 लाख के अधिक व्यय करते हुये रु 42.68 लाख के लंबित भुगतान एवं पुनरीक्षित आगणन मे आपत्तियो का निराकरण वर्तमान तक न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 : विभागीय शिथिलता एवं वित्तीय नियमो के विपरीत कार्य के निष्पादन मे रु 200.12 लाख व्यय के बावजूद स्वीकृति के 03 वर्षो बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के अंतर्गत ग्राम पालावाली व लोअर कंडोली मे आवागमन हेतु गुलाटी नदी पर RCC box culvert (लंबाई 45 मी0 स्पान) के निर्माण कार्य हेतु रु 489.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकर्ति प्रदान की गयी थी (अगस्त 2017) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी (जुलाई2018)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (55/SE-9/2018-19 दिनांकित 20.11.2018 रु 401.00 लाख हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि 19.11.2019 निर्धारित की गयी थी। कार्य पर अंतिम देयक (VIIIth रनिंग बिल के अनुसार) कुल व्यय रु 200.12 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (अगस्त 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा न केवल उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के 12 माह बाद उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी अपितु सिविल कार्य के मद मे प्राविधानित धनराशि रु 421.93 लाख (Excluding GST) के सापेक्ष मात्र 380.18 लाख के estimated cost पर प्राविधिक स्वीकृति के 6 माह पूर्व ही निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठित किया गया। पुनः अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक (वित्तीय स्वीकृति के 03 वर्ष बाद) प्रविधानित धनराशि के सापेक्ष मात्र रु 200.12 लाख की लागत के (47%) का निष्पादन कर भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त विस्तृत आगणन मे प्रविधानित 17 मदों के कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किए गए थे जबकि विस्तृत आगणन मे प्रविधानित RCC in Superstructure एवं HYSD की मात्राए क्रमश 683 cum एवं 107 MT के सापेक्ष क्रमश 851 cum एवं 58.92 MT का प्रयोग किया गया था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे प्राविधिक स्वीकृति देर से प्राप्त करंने के संबंध मे बताया गया कि अधीक्षण अभियंता, 9th वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा आदेशित किया गया था कि उक्त पुल की डिजाईनिंग मान्य कंसल्टेंट से कराया जाए एवं उसकी वेटिंग भी मान्य संस्था से कराई जाय जिसके कारण ड्राईंग डिजाईनिंग, स्थल चयन प्रक्रिया एवं भू-वैज्ञानिक आख्या प्राप्त करने मे समय लगा। पुनःविस्तृत आगणन के सापेक्ष निविदा की estimated cost कम होने के संबंध मे बताया गया कि प्राविधिक स्वीकृति से

06 माह पूर्व ही निविदा आमंत्रित किए जाने के कारण उक्त मे अंतर हुआ जबकि RCC in Superstructure एवं TMT bar HYSD की मात्राओ मे अप्रत्याशित अंतर के बारे मे बताया गया कि उच्चाधिकारिओ के निर्देश एवं डिज़ाइनिंग के अनुसार कार्य कराने मे क्रमश आधिक्य एवं बचत हुई। कार्य मे असंतोष जनक प्रगति के संबंध मे खंड द्वारा इसे स्वीकार्य करते हुये बताया गया कि कार्य मे व्यवधान के कारण जिसमे एक प्रमुख कारण कुशल श्रमिकों का न मिलना भी था, के कारण देरी हुई।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि वित्तीय स्वीकृति के एक वर्ष बाद प्राविधिक स्वीकृति सिर्फ इस आधार पर प्राप्त किया कि ड्राईंग डिजाईनिंग, स्थल चयन प्रक्रिया एवं भू-वैज्ञानिक आख्या प्राप्त करने मे समय लगा, न केवल विभागीय शिथिलता अपितु यह भी इंगित करता है कि उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बिना किसी उचित सर्वे एवं feasibility के प्राप्त कर ली गयी थी। इसके अतिरिक्त इतने महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर सक्षम अधिकारी से सहमति प्राप्त (प्राविधिक स्वीकृति) किए 06 माह पूर्व ही अनुमान के आधार पर ही निविदा आमंत्रित किया जाना एवं तत्पश्चात अनुबंध गठित किया जाना वित्तीय एवं उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन था।पुनः RCC in Structure एवं TMT bar HYSD मे विचलन इस बात की पुष्टि करता है कि प्राविधिक स्वीकृति एवं स्थल पर किए गए कार्य/डिजाईनिंग मे कोई समानता नहीं है। खंड का यह कथन कि कार्य मे देरी कुशल श्रमिकों के न मिल पाने के कारण थी, पूर्णतया अमान्य है क्यूंकि उक्त कार्य कांट्रैक्ट पर किए जा रहे न कि श्रमिक दर के आधार पर। खंड द्वारा यह आश्वासन दिया जाना कि कार्य माह अक्तूबर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, भी संदेहास्पद है क्यूंकि माह 02/2020 तक कार्य की प्रगति मात्र 47 प्रतिशत थी और खंड द्वारा वर्तमान मे भी कार्य प्रगति के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः विभागीय शिथिलता एवं वित्तीय नियमो के विपरीत कार्य के निष्पादन मे रु 200.12 लाख व्यय के बावजूद वित्तीय स्वीकृति के 03 वर्षो बाद भी कार्य के अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर–2 कार्य पर रू0 61.05 लाख अन्य कार्यो का व्यय व्यावर्तित कर भारित किया जाना तथा कार्य में बिलम्ब हेतु ठेकेदार से अनुबन्धित लागत का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड की धनराशि रू0 26.31 लाख की वसूली नही किया जाना।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 327/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में मझोन से सेला–खाराखेत मोटर मार्ग 4.5 किमी एवं 48.00 मीटर स्टीलगर्डर सेतु का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 3416/।।।(2)/13–07(प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 02.07.2013 द्वारा लागत रू0 344.28 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर–1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा पत्रांक : 74/9(6)याता0म0मु0घो0 स्तर–1(क्षे0का0)/2014 दिनांकः 11/02/2014 के माध्यम से लागत रू0 344.28 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्याः 47/SE- 9/14 Dated 04.03.2014 ठेकेदार–मैसर्स देवेन्द्रा कन्सट्रक्शन के साथ गठन किया गया, जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 26314772.86 एवं आगणित लागत रू0 28846258.03 थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 04.03.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.09.2015 थी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्य हेतु अधी0 अभि0, 9वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून की सूचना सं0 6594/1सी–9/2013 दिनांक 30.11.2013 को प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित की गयी।

कार्य पर ठेकेदार को निष्पादित कार्य के लिये भुगतान बाउचर के अनुसार कुल रू0 283.23 लाख का व्यय किया गया था जबकि मासिक प्रगति आख्या एवं फार्म–64 (माह 07/2020) के अनुसार कार्य पर कुल रू0 344.28 लाख का व्यय भारित किया गया था इस प्रकार उक्त अन्तर की धनराशि रू0 61.05 लाख { 344.28 –283.23=61.05} अन्य कार्यो का व्यय व्यावर्तित कर उक्त कार्य पर भारित किया गया था।

कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति में स्पष्ट रूप से प्राविधानित था कि योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माइलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुये वसूली की कार्यवाही

सुनिश्चित की जायेगी। परन्तु ठेकेदार द्वारा माइलस्टोन के अनुसार कार्य निष्पादित नही किये जाने के बावजूद भी ठेकेदार पर कोई क्षतिपूर्ति अध्यारोपित नही की गयी।

आगे अभिलेखों के अवलोकन मे पाया गया कि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा समय वृद्धि प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश पत्रांकः 1455/01 याता0 'क'/18 दिनांक 17.10.2019 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि समयवृद्धि प्रकरणों को अनौचित्यपूर्ण अवधि हेतु क्षतिपूर्ति की गणना करते हुए संस्तुत किये जाय, जिसे GPW-9 के Clause-4 अथवा (Unjustified Time/Total Time x Cost or work) का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड की गणना कर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की संस्तुति सहित प्रेषित किया जाय। उक्त कार्य के प्रारम्भ की तिथि 04.03.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.09.2015 थी इस प्रकार कार्य को 18 माह में पूर्ण किया जाना था परन्तु आतिथि तक कार्य प्रगति में है। विभागाध्यक्ष के उक्त आदेश के अनुसार कार्य में बिलम्ब हेतु ठेकेदार पर 10 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिये था परन्तु मुख्य अभियन्ता के पत्रांक 2981/09(346) याता0–स्तर– 1 (क्षे0का0)/2019 दिनांक 06.08.2019 द्वारा कार्य का समयवृद्धि दिनांक 31.10.2019 तक 0.05 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ स्वीकृत किया गया था तथापि आतिथि तक कार्य प्रगति में होने के बावजूद कार्य में बिलम्ब हेतु ठेकेदार से अनुबन्धित लागत का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड की धनराशि रू0 2631477.20 की वसूली GPW-9 के Clause-4 के अनुसार नही की गयी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता 9वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून की निविदा सूचना सं0 6594/1सी0–9/2013 को माह जनवरी 2014 हेतु आमंत्रित की गयी इस बीच विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान रही, क्योकि निविदा प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण प्रायः निविदा ये कार्य स्वीकृति के उपरान्त कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने हेतु लगायी गयी है। कार्य पर ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य हेतु रू0 283.23 लाख का व्यय किया गया, अनुबन्ध के अतिरिक्त राज्य योजना के अन्य कार्यो के बिलों का भुगतान इस कार्य पर भारित कर दिया गया था जिसे TEO द्वारा समायोजित कर सही कर दिया जायेगा एवं **उत्तराखंड में समय-2 पर खनन पर प्रतिबंध एवं सेतु की दायी ओर के एबेडमेण्ट के स्थान पर एवं km 3 से 4.5 की मध्य साल के वृक्ष होने के कारण पातन में 1 वर्ष 6 महीने का समय लगा। पुनः खनन पर प्रतिबंध एवं covid-19 के लॉकडाउन के कार्य बंद रहा।** ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.08.2020 तक समयवृद्धि आवेदित की गयी है जिसे स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि उक्त कार्य पर अन्य कार्यो के बिलों का भुगतान भारित किया गया था तथा कार्य में बिलम्ब हेतु GPW-9 के Clause-4 के अनुसार 10 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाने की

कार्यवाही एवं ठेकेदार द्वारा माइलस्टोन के अनुसार कार्य निष्पादित नही किये जाने के बावजूद भी ठेकेदार पर कोई क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित नही की गई थी।

अतः कार्य पर रू0 61.05 लाख अन्य कार्यो का व्यय व्यावर्तित कर भारित किया जाना तथा समय वृद्धि प्रकरण के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही किये जाने से कार्य में बिलम्ब हेतु ठेकेदार से अनुबन्धित लागत का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड की धनराशि रू0 26.31 लाख की वसूली नही किया जाना एवं ठेकेदार द्वारा माइलस्टोन के अनुसार कार्य निष्पादित नही किये जाने पर शासनादेश में प्राविधान के बावजूद भी ठेकेदार पर कोई क्षतिपूर्ति अध्यारोपित नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
44/2002-03	1,2,3,4,5,6	7,8,9,10
24/2003-04	1	2,3,4,5,6
35/2004-05	1	1,2
73/2005-06	-	1
41/2006-07	1,2	1
43/2007-08	1,2	1,3
01/2009-10	1,3	1
41/2010-11	1,2,3	-
47/2011-12	1	-
51/2012-13	1	-
55/2013-14	1,2	1, 2
21/2014-15	1	2,3,4,5
42/2015-16	-	1,2,4,5
38/2016-17	1	1,2,3
25/2017-18	1	1,2
40/2018-19	-	1,2,3,4
56/2019-20	-	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Nil				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** MB No. 692/L, 806/L, 823/L, 765/L, 634/L, 834/L, 685/L,714/L
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री जगमोहन सिंह चौहान	अधिशासी अभियंता	08.2019 से वर्तमान तक

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**

नाम	अवधि
श्री देवेंद्र राणा	01.08.2019 से 07.08.2019
श्री सिद्धार्थ मोहन डोभाल	08.08.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/(आर्थिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)